Vol. 4, No. 70

राष्ट्र महिला

अगस्त 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

महिला आरक्षण विधेयक, जिसमें महिलाओं के लिए संसद तथा राज्य विधान मंडलों में 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, सर्वप्रथम जून 1996 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। गत वर्ष सभी प्रमुख दलों ने वचन दिया था कि वे अपने चुनाव घोषणा-पत्रों में महिलाओं को राजनीतिक स्थान देंगे, किन्तु इसके बावजूद भी संसद के विगत वर्षाकालीन सत्र में इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अब इस को टालमटोल करने, स्थगित करने अथवा फीका बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

महिलाएं यद्यपि जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हैं, परन्तु संसद तथा राज्य विधान-मंडलों में उनकी संख्या सदा से नगण्य रही है। इसलिए, उनकी 50 प्रतिशत आरक्षण की मांग अनुचित नहीं है।

परन्तु, जैसा विगत में कई बार हो चुका है, आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को साथ लाने का प्रयास बिल्कुल असफल हो गया है। सरकार के प्रमुख राजनीतिक

चर्चा में **महिला आरक्षण विधेयक**

संघटक दलों की 'आरक्षण में आरक्षण' की मांग के फलस्वरूप - जिसमें आरक्षित स्थानों में मुस्लिमों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अलग-अलग आरक्षण की मांग की गयी है - कोई मतैक्य बनता दृष्टिगत नहीं होता।

अब गैंद सरकार की पाली में है। किन्तु यदि मतैक्य बनाने के प्रयास में इस प्रकार बार-बार अवरोध पैदा किए गए तो इस विधेयक का स्वाभाविक रूप से अंत हो जायेगा। क्या सरकार ऐसा होने देगी? भारत की आधी जनसंख्या के लिए राष्ट्रीय निर्णयकारी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर कब आयेगा?

जहां तक राष्ट्रीय महिला आयोग का संबंध है, यह केवल महिलाओं का मुद्दा न हो कर एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर वरीयता दी जानी चाहिए। इस विधेयक के दूरगामी महत्व और अनूपता को देखते हुए, कानून के रूप में पारित हो जाने पर यह न केवल भारत की चुनाव राजनीति में एक क्रांति लायेगा, अपितु राजनीतिक प्रणाली में चले आए सदियों पुराने भेदभाव को समाप्त कर एक सामाजिक परिवर्तन का प्रादुर्भाव भी करेगा।

लिंग-चयन पर कार्यशाला

विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और समाज शोध केन्द्र ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से नारी भ्रूण-हत्या पर एक विचार-विमर्श कार्यशाला का आयोजन किया जिसका विषय था 'समानता प्राप्ति के लिए लिंग-चयन का निराकरण।'

हाल ही में किए गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या घटकर 896 रह गयी है जो गत दशक का सबसे कम अनुपात है। उत्तर के पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में, जो भारत के अपेक्षाकृत सम्पन्न राज्यों में हैं, तथा राजस्थान में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है। महिलाओं का गिरता अनुपात इस बात का प्रमाण है कि लिंग-चयन गर्भपात या नारी भ्रूण-हत्या कोई इक्का-दुक्का घटना न होकर देश के अनेक भागों में एक चौंकाने वाली प्रवृत्ति बन गयी है। 1991 से 2001 के दशक में, जन्म-पूर्व सेक्स निर्धारण तकनीक के फलस्वरूप देश ने लगभग 1.37 करोड़ लड़कियों को खो दिया है।

विचार-विमर्श सत्र में (बायें से) सुश्री यास्मीन अब्रार, सुश्री किरन वालिया, डा. गिरिजा व्यास, डा. रंजना कुमारी, सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, सुश्री निर्मला वेंकटेश, सुश्री नीवा कंवर

कार्यशाला को संबोधित करते हुए, आयोग की अध्यक्षा, डा. गिरिजा व्यास ने कहा कि घटता हुआ लिंग अनुपात एक गंभीर मामला है जिसके विभिन्न सामाजिक-आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी परिणाम होंगे। इससे न केवल एक गंभीर जनसंख्या असंतुलन पैदा होगा तथा सामाजिक बुराइयां पनपेंगी, अपितु महिलाओं के प्रति लिंग-संबंधित अपराधों व हिंसा में भी वृद्धि होगी। असंतुलन से सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी, बलात बहुपतित्व आयेगा, बाल-विवाहों में बढ़ोतरी होगी, बलात्कार बढ़ेंगे और विवाह के लिए महिलाओं का अपहरण होगा। बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में बालिका-हत्याओं - लड़कियों को विष देकर, गला घोंटकर, डुबो कर मार डालने या मरने के लिए छोड़ देने - का लम्बा इतिहास है।

श्रोताओं को संबोधित करते हुए श्री पी.के. होटा। (दायें) डा. गिरिजा व्यास, डा. रंजना कुमारी और सदस्य-सचिव श्री एन.पी. गुप्ता

समाज शोध केन्द्र की निदेशिका डा. रंजना कुमारी ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में गिरते हुए लिंग अनुपात का एक प्रमुख कारण गर्भधारण-पूर्व तथा जन्म-पूर्व निदान तकनीक (लिंग-चयन निषेध) अधिनियम का असंतोषजनक क्रियान्वयन है। अन्य बड़े कारण हैं पुत्री तथा परिवार में उसकी भूमिका के प्रति सामाजिक मनोवृत्ति (उसे तो विवाह करके ससुराल भेज देना है), अनुचित लिंग-चयन प्रथाएं, अपर्याप्त विनियमन व्यवस्था, अनुपयुक्त कानून और समस्या को स्पष्ट रूप से न समझने से उत्पन्न अनुचित नीतियां। उन्होंने कहा कि अमीर और शिक्षित वर्ग की अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों तक आसान पहुंच है जहां लिंग-निर्धारण परीक्षण किया जाता है और चोरी-छिपे ऐसे परीक्षण कराने के अवसर उनके लिए और भी अधिक हैं। इससे वे यह सोच कर कानून का उल्लंघन करते हैं कि वे इसकी पकड़ से बच जायेंगे।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के प्रतिनिधि शरारे अमीर खलीली ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि "यदि समाज में महिलाओं के प्रति होते हुए व्यवहार को प्रतिबिंबित करने वाला कोई संकेतक देखा जाये तो वह यह है कि उन्हें जन्म देने का अवसर और अधिकार तक नहीं दिया जाता। महिलाओं के प्रति हिंसा का सबसे शर्मनाक और निकृष्ट स्वरूप शायद वांछित लिंग का चयन करके अनचाहे लिंग को समाप्त कर दिया जाना है।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से सुझाव आया कि भयोत्पादक परिमाण पर पहुंच गयी नारी हत्या को रोकने के लिए एक कार्य दल गठित किया जाये। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री पी. होडा ने अपने भाषण कहा कि विशेष कार्य दल में पुलिस अधिकारियों तथा चिकित्सकों को भी शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लिंग निर्धारण की नयी अल्ट्रासाउंड और रक्त परीक्षण तकनीकें एक अभिशाप बन गयी हैं क्योंकि इनका दुरुपयोग नारी भ्रूण गिराने के लिए किया जा रहा है।

कार्यशाला से निकले कुछ सुझाव ये हैं :-

1. नारी हत्या करने वाले माता-पिता/लोगों को दंडित किया जाये। भारतीय चिकित्सा परिषद को उन डाक्टरों के लाइसेंस समाप्त कर देने चाहिए जो जन्म-पूर्व लिंग-निर्धारण करते हैं। ऐसे डाक्टरों को यदि तीन मास का अनिवार्य कारावास दिया जाये और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये तो इस प्रथा में कमी आयेगी।
2. जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण से संबंधित प्राधिकारियों के बारे में लोगों की प्रतिनिधि संस्थाओं को अवगत कराना चाहिए और उन्हें बताया जाना चाहिए कि यदि उन्हें दोषियों का पता चले तो वे किन अधिकारियों के पास जायें।
3. स्कूलों, सांसदों, विधान-मंडलों के सदस्यों तथा समाज के समृद्ध वर्गों के स्तर पर दंड के बारे में जागरुकता पैदा की जानी चाहिए और उन्हें महिलाओं के प्रति संवेदीकृत किया जाना चाहिए।
4. नारी भ्रूण-हत्या के अभिशाप पर डाक्टरों, नर्सों, दाइयों आदि को संवेदीकृत किया जाना चाहिए।
5. चूंकि यह प्रथा समृद्ध वर्गों में बहुत प्रचलित मालूम होती है, इसलिए तथाकथित सशक्तिकृत महिलाओं का संवेदीकरण किया जाना चाहिए।
6. धार्मिक नेताओं को संवेदीकृत किए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने अनुयाइयों के बीच लड़की के बारे में सकारात्मक संदेश पहुंचाएं।
7. महानगरों, बड़े शहरों तथा ग्रामीण जनता के लिए अलग-अलग कार्य योजनाएं होनी चाहिए।
8. देश की प्रगति को मापने का एक संकेतक लिंग अनुपात होना चाहिए।
9. पंचायत स्तर पर प्राधिकारियों एवं आम जनता को हर छः माह में जन्मे लड़के और लड़कियों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

श्रोतागण

सदस्यों के दौरे

- सदस्य मालिनी भट्टाचार्य हाल ही में रांची में 'इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो-साइकेट्री एंड ऐलाइड साइंसेज' तथा 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री' देखने गयीं और वहां की महिला आवासिनों की दशा का निरीक्षण किया। बाद में वह बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारागार, रांची गयीं और महिला वार्ड का निरीक्षण किया। यहां 76 महिला बंदी थीं जिनमें 41 सजायाफ्ता थीं और 35 विचाराधीन। जेल में 14 बच्चे अपनी माताओं के साथ रह रहे थे जहां उनकी पढ़ाई की व्यवस्था थी। रांची से लौटने के बाद वह बहरामपुर गयीं जहां उन्हें पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग तथा सामाजिक-कानूनी शोध केन्द्र द्वारा आयोजित 'अनैतिक व्यापार पर कार्यशाला' में भाषण देना था।

  बाद में, उन्होंने 'राज्य शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण केन्द्र' द्वारा आयोजित कार्यशाला को 'लड़कियों और सामाजिक भेदभाव' विषय पर संबोधित किया। फिर वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन शोध केन्द्र में गयीं जहां उन्होंने कलकत्ता महानगर क्षेत्र में जन्म-पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन पर चल रही एक शोध परियोजना के बारे में चर्चा की।

  वह राज्य महिला बोर्ड में भी गयीं और राज्य के बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान पर चर्चा की। बाद में वह टालीगंज में सेक्स कर्मियों के एक संगठन 'आत्म मर्यादा' में गयीं और स्व-नियोजन तथा स्व-सुधार योजनाओं पर उनके साथ चर्चा की।

  पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग तथा पश्चिम बंगाल सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक बैठक में उन्होंने भाग लिया जिसमें गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी अधिकारियों तथा राज्य महिला आयोग के सदस्यों सहित लगभग 52 व्यक्ति उपस्थित थे। राज्य महिला आयोग एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग में चलने वाले कार्यक्रमों पर उन्होंने चर्चा की। इन कार्यक्रमों का केन्द्रबिन्दु महिलाओं का कार्य, उनका स्वास्थ्य, अनैतिक व्यापार आदि था। तत्पश्चात, उन्होंने विधान नगर में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में तहकीकात की।

  वह स्वास्थ्य भवन भी गयीं और कोलकाता नगरपालिका क्षेत्र में 0-6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात संबंधी एक परियोजना पर परिवार नियोजन विभाग के आयुक्त के साथ चर्चा की। इस परियोजना को विभाग द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के महिला शोध केन्द्र के साथ संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है।

  अगरतला में त्रिपुरा राज्य महिला आयोग तथा त्रिपुरा सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक बैठक में उन्होंने भाग लिया जिसका प्रयोजन गैर-सरकारी संगठनों के साथ उन कार्यक्रमों पर चर्चा करना था जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग में क्रियान्वित किए जाने का विचार है।

  बाद में, वह छुड़ाई गयी लड़कियों के आश्रय गृहों और शारीरिक रूप से विकलांग लड़कियों के निवासीय स्कूलों को देखने गयीं। उन्होंने पाया कि यद्यपि यह संस्था एक बहुत उपयोगी सेवा प्रदान कर रही थी, किन्तु प्रशिक्षित अध्यापकों के कुछ स्थान खाली पड़े थे तथा अनेक उपकरण काम नहीं कर रहे थे। वह त्रिपुरा सरकार द्वारा चलाया जा रहा महिला आश्रम देखने भी गयीं और वापसी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के विकास अध्ययन संस्थान में आयोजित 'महिलाएं और मीडिया' विषय पर एक बैठक में भाग लिया।

- सदस्य नीवा कंवर ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित एवं एन.ई.डी.आई. एफ. द्वारा आयोजित एक क्षेत्रीय कार्यशाला में भाग लिया जिसका आशय लघु ऋण की उपलब्धता, उपभोग एवं प्रभाव का जायजा लेना था। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह मालूम करना था कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को प्रदान करने में लघु ऋण सुविधाओं की क्या भूमिका रही है।

  बाद में सदस्य नागोन जिले में धींग में गयीं जहां उन्होंने ससुर द्वारा एक महिला का बलात्कार किए जाने की घटना की जांच की। वह पीड़िता, उसके रिश्तेदारों तथा साक्षियों से भी मिलीं।

शिकायत कक्ष से

- आयोग को राजस्थान के जिला बाड़मेर के गांव कनाना से स्वर्गीय मांगेलाल की पत्नी श्रीमती शांति देवी से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें आरोप था कि गत दो वर्ष से उसकी विधवा-पेंशन रोक दी गयी है। उसे मृत घोषित कर दिया गया था। उसने संबंधित विभाग को आवेदन दिया, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। शिकायत मिलने पर, आयोग ने जिलाधीश को लिखा जिसने सूचित किया कि शांति देवी की शिकायत सही पायी गयी है और जिलाधीश द्वारा बाड़मेर के कोषाधिकारी को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गये हैं। साथ ही, गलत आधार पर पेंशन रोक दिए जाने के मामले में संबंधित पटवारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

- सुश्री रूपाली जैन से आयोग को एक शिकायत प्राप्त हुई कि एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल से उसकी सेवाएं बिना कोई कारण बताए समाप्त कर दी गयी हैं। उसने एक परीक्षा देने के लिए छुट्टी ली थी। आयोग ने फिरोजाबाद के जिलाधीश के साथ यह मामला उठाया जिसने आयोग को सूचित किया कि आयोग के हस्तक्षेप से रूपाली को अपने काम पर वापस ले लिया गया है क्योंकि उसकी शिकायत सही पाई गयी।

- दिल्ली की एक निवासी श्रीमती चंचल बजाज ने आयोग को लिखा कि गुड़गांव में उनका एक फ्लैट उनके बेटे के नाम के साथ था। उनका बेटा विवाह होने के पश्चात गुड़गांव में एक किराए के फ्लैट में रहने लगा। अपने फ्लैट का कब्जा मिल जाने के बाद श्रीमती चंचल बजाज ने अपने बेटे को उसमें रहने की इजाजत दे दी। इससे पूर्व, श्रीमती बजाज एक सरकारी फ्लैट में रह रही थीं। अब वह दिल्ली में किराए के एक फ्लैट में रह रही थीं जिसका किराया उनकी क्षमता के बाहर था। इसलिए, वह भी गुड़गांव के फ्लैट में जाना चाहती थीं। किन्तु उनके लड़के और बहू ने उन्हें गुड़गांव वाले फ्लैट में नहीं घुसने दिया। आयोग ने मामले को हाथ में लिया और तीन परामर्श सत्र किए। तत्पश्चात्, चंचल बजाज के पुत्र सचिन बजाज ने वह फ्लैट बेच कर अपनी मां को 5.49 लाख रुपये का चैक दिया। इस प्रकार आयोग के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों के बीच के विवाद का संतोषजनक हल निकला।

राष्ट्रीय महिला आयोग की नयी सदस्या

15 जुलाई, 2005 को कर्नाटक विधान परिषद की एक पूर्व सदस्य सुश्री निर्मला वेंकटेश राष्ट्रीय महिला आयोग में शामिल हो गयीं। सुश्री वेंकटेश एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अनेक वर्ष से गरीब और दलितों के बीच कार्य कर रही हैं। उन्होंने समस्त भारत की व्यापक यात्रा की है जिससे उन्हें देश की तृणमूल महिलाओं की स्थिति का निजी अनुभव है जो आयोग में उनके कार्य में सहायक होगा। हम सुश्री निर्मला वेंकटेश का आयोग में स्वागत करते हैं।

रणनीति पर चर्चा के लिए महिला सांसदों की बैठक

संसद में सरकारी एजेंडा में एक बार फिर महिला आयोग विधेयक को स्थान न मिलने के बाद, राष्ट्रीय महिला आयोग के तत्वाधान में महिला सांसदों की एक बैठक आगे की रणनीति तय करने के लिए हुयी।

आयोग द्वारा यह बैठक महिला आरक्षण विधेयक तथा घरेलू हिंसा विधेयक के परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए बुलाई गयी थी।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डा. गिरिजा व्यास ने महिला सांसदों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, वकीलों, बौद्धिकों तथा अन्यों से संसद में इन दोनों प्रस्तावित विधानों के पक्ष में जनमत तैयार किए जाने का आग्रह किया और कहा कि महिलाओं को संसद में दबाव बनाना चाहिए। संसद में उठाए जाने वाले अन्य मुद्दों - जैसे दहेज संबंधी कानूनों में सुधार की आवश्यकता, नारी भ्रूण-हत्या की बढ़ती हुई विभीषिका और दहेज के लिए महिलाओं को तंग करने के लिए आवश्यक कदम - पर भी चर्चा की गयी।

विस्तृत चर्चा के बाद, निम्नलिखित बिन्दु उभरे :-

- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा घरेलू हिंसा विधेयक पर की गयी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, बैठक ने विधेयक को पारित किए जाने की पुरजोर हिमायत की।
- यह सहमति बनी की संसद तथा राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाले विधेयक को समर्थन देने का सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया जाये।
- आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय महिला आयोग प्रधानमंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन देगा कि इन विधेयकों को पारित कराने में वह अपने प्रभाव का प्रयोग करें। प्रतिनिधि मंडल में राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षों को भी शामिल किया जायेगा।

महिला सांसदों की बैठक में सुश्री रजनी पाटिल, सुश्री कृष्णा तीरथ, सुश्री मीरा कुमार, डा. गिरिजा व्यास, सुश्री कांति सिंह, सुश्री सूर्यकान्ता पाटिल, कुमारी शैलजा

महत्वपूर्ण निर्णय

तलाकनामा वैध : बम्बई उच्च न्यायालय

बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि कोई मुस्लिम महिला दोबारा किसी हिन्दू व्यक्ति से विवाह करना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है क्योंकि धार्मिक प्रमुख द्वारा जारी किया गया तलाकनामा किसी विवाह को निरस्त करने वाला वैध दस्तावेज है और उस स्थिति में महिला को किसी न्यायालय की डिग्री की आवश्यकता नहीं है तथा अपना धर्म परिवर्तन किए बिना वह विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह कर सकती है।

महिलाओं के संरक्षण के लिए जादू-टोना कानून

छत्तीसगढ़ सरकार जादू-टोना के नाम में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए शीघ्र एक कानून बनायेगी जिसमें जादू-टोना को एक गैर-जमानती अपराध करार दिया जायेगा।

साथ ही, जो लोग जादू-टोना की आड़ में महिलाओं को उत्पीड़ित करते हैं उन्हें पांच वर्ष के कठोर कारावस और जुर्माने का दंड दिया जायेगा।

इस कानून की जद में वे लोग भी आयेंगे जो काला जादू करने, नजर दूर करने या जादुई इलाज करने की शक्ति रखने का दावा करते हैं। जो लोग दूसरों पर डाकिनी या डायन होने का आरोप लगायेंगे वे तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के भागी होंगे।

स्वयं अपने को डायन या डाकिनी कहने वाली स्त्री पर एक वर्ष के कारावास और जुर्माने का दंड लगेगा।

मुस्लिम लड़कियों को बाल विवाह नामंजूर करने का अधिकार है : राजस्थान उच्च न्यायालय

एक महत्वपूर्ण निर्णय में राजस्थान उच्च न्यायालय ने ठहराया है कि ऐसी मुस्लिम लड़कियों को जिनका विवाह उनके माता-पिता ने बचपन में 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किन्तु 18 वर्ष की आयु होने से पूर्व कर दिया था, विवाह को नामंजूर करने का अधिकार है। न्यायाधीशों ने निर्णय दिया कि हिन्दुओं तथा मुस्लिमों दोनों पर लागू होने वाले कानून के अंतर्गत, महिलाओं को ऐसे विवाह नामंजूर करने का अधिकार है।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित।
सम्पादक : गौरी सैन